P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
Vol-III* Issue-XI*July-2016

भारत में लोकतन्त्र

अर्चना मेरी दयाल
शोधार्थिनी,
राजनीतिशास्त्र विभाग
सेन्ट जॉन्स कॉलेज,
आगरा

सारांश

आज विश्व में शासन व्यवस्था के बहुत से रुप देखने को मिलते है लेकिन इन शासन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था लोकतन्त्र मानी जाती है। गुलामी से पहले भारत देश में राजतन्त्रामक शासन व्यवस्था थी लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब भारत में लोकतन्त्र की स्थापना की गई। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ जनता का जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है।

भारत 15 अगस्त 1947 में जब स्वतन्त्र हुआ तो शासन व्यवस्था का चयन संविधान सभा के समक्ष बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न था। संविधान निर्मात्री सभा के पास तीन प्रकार की शासन प्रणालियों का विकल्प था

(1) बहुकार्यपालिका।
(2) अध्यक्षीय शासन प्रणाली
(3) संसदीय शासन व्यवस्था।

26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान के अनुसार भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। भारतीय लोकतन्त्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दर्शन होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र में जनता एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। भारत में लोकतन्त्र के विषय के सम्बन्ध में दो बड़े तथ्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक, अब लोकतन्त्र विवाद का विषय नहीं रहा यह सर्वत्र स्वीकार व्यवस्था हो चुकी है। दूसरे, अब लोकतन्त्र का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य शब्द : लोकतन्त्र, भारत, लोकतन्त्रात्मक,शासन व्यवस्था, गणराज्य, स्वराज्य, संविधान, जनता कार्यपालिका, अप्रत्यडं, (अप्रत्यक्ष) लोकतन्त्र

प्रस्तावना

भारत में लोकतन्त्र का उदय

बीती शताब्दियों से लेकर आज तक साधारणतया शासन व्यवस्था के तीन रूप प्रचलित रहे हैं – राजतन्त्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र। भूतकाल में साधारणतया राजतन्त्रात्मक या कुलीनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाएँ प्रचलित थीं, किन्तु लम्बे समय के ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट हुआ कि राजतन्त्र या कुलीनतन्त्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके एक वर्ग विशेष के स्वार्थों का ही ध्यान रखते हैं। भारत देश में भी गुलामी में पहले राजतन्त्र शासन व्यवस्था का बोलबाला था।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी स्वतन्त्र भारत का जो सपना देखा था, उस भारत में शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप था। गाँधीजी के अनुसार उनके आदर्श समाज में शासन का रूप पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा। उसमें जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा वरन् जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भी भाग लेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी सम्भव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। [1]

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के कुछ समय पूर्व ही भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई थी, जिसने 26 नवम्बर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण किया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। संविधान के द्वारा भारत में प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है और लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धान्त व्यस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है।

लोकतंत्र का इतिहास

आरम्भ में लोकतन्त्र फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों पर आधारित था। यह विशेषाधिकारों एवं विशेष सुविधाओं का विरोधी था। सभी नागरिकों को स्वतन्त्रता दिलाने के उद्देश्य से इस लोकतन्त्र में न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। लोग अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी पेशा कर सकते थे। उत्पादन और वितरण भी उद्योगपतियों और व्यापारियों पर छोड़ दिया गया था। इस प्रकार पश्चिम में आरम्भिक लोकतंत्र पूंजीवादी समाज के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। किन्तु स्वच्छन्द आर्थिक सुविधाएँ विशेषाधिकारों से भी अधिक

हानिकारक हो सकती है। पूंजीवादी प्रजातंत्र में मानवीय समानता और स्वतंत्रता का और अधिक हनन होता है।[2] द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत के साथ एशिया और अफ्रीका के साथ अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई। किन्तु भारत के अलावा इन सभी देशों में लोकतन्त्र स्थाई सिद्ध नहीं हुआ और लोकतंत्रात्मक पृष्ठभूमि न होने के कारण थोड़े समय बाद ही उन देशों को लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक वाद के किसी न किसी रूप को अपनाना पड़ा। भारत में लोकतंत्र किस सीमा तक सफल रहा है यह विचार और विवाद का विषय हो सकता है, किन्तु यह सत्य है कि आज भी भारत में लोकतंत्र विद्यमान है।

लोकतंत्र का उदय

15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज का अन्त हो गया और स्वतन्त्रता के उपरान्त एक प्राचीन संस्कृति वाले देश भारत में एक नए युग का प्रारम्भ हुआ। यह सत्य है कि भारत के लम्बे इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दिवस था। भारतवासियों के लिए मात्र स्वतन्त्रता प्राप्ति ही अपने आप में अन्त नहीं था, क्योंकि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये नहीं लड़े थे बल्कि उनका उद्देश्य समाज में एक नई व्यवस्था की स्थापना करना था। आथिक व सामाजिक असमानताओं को घटाने, जनसाधारण की गरीबी, बेरोजगारी और अल्परोजगारों के उन्मूलन, मानव गरिमा की पुर्नस्थापना, नागरिक अधिकारों की गारण्टी, साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थापना तथा सभी को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में स्वतन्त्र भारत के नेताओं का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। इन अपेक्षाओं को संविधान में सम्मिलित कर 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकार किया गया। यह दृष्टिकोण मुख्यतः प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में परिलक्षित होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान निर्माताओं की लोकतंत्र में भरपूर आस्था थी।[3]

भारत 1947 में जब स्वतन्त्र हुआ तो शासन व्यवस्था का चयन संविधान सभा के समक्ष बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न था। संविधान निर्मात्री सभा के पास तीनों प्रकार की शासन प्रणालियों का विकल्प था स्विस प्रकार की बहुकार्यपालिका, अमरीका प्रकार की अध्यक्षीय शासन प्रणाली तथा ब्रिटिश की संसदीय शासन व्यवस्था। सभा में गैर कॉग्रेसी सदस्य स्विस शासन व्यवस्था चाहते थे, जबकि कुछ सदस्यों को अमरीकी शासन व्यवस्था पसंद थी, परन्तु संविधान के अधिकांश सदस्य संसदीय कार्यपालिका के पक्ष में थे। इस संबंध में सामान्य भावना व्यक्त करते हुए पं0 नेहरू ने कहा था "हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते।" स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ समय पूर्व ही भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी, जिसने 26 नवम्बर 1949 को संविधान के निर्माण का कार्य पूर्ण किया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया। संविधान द्वारा भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई और लोकतंत्र के आधरभूत सिद्धान्त 'वयस्क मताधिकार' को स्वीकार किया गया। संविधान द्वारा एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई और नागरिकों को शासन में हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। व्यवहार में भारतीय नागरिक इन स्वतंत्रताओं का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप में एक लोकतंत्रात्मक संविधान है।[4]

अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में जनता की अपेक्षाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करने के लिए भारत देश में लोकतंत्र का उदय हुआ।

भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप

संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई है। इसमें शासन की सत्ता जनता में निहित होगी। जनता इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगी। जनता व्यस्क मताधिकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी। केन्द्रीय शासन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगी। यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि यह अनुभव करते हैं कि प्रशासक वर्ग के लोग अपने दायित्वों का पालन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं तो वह उनके पद से उन्हें अपदस्थ कर सकते हैं।

तिलक की कल्पना थी कि 'स्वराज्य' के अन्तर्गत देश का राजनीतिक ढांचा संघात्मक होगा। वे लोकतंत्रात्मक स्वराज्य के हामी थे क्योंकि वे तत्कालीन सम्पूर्ण शासन प्रणाली को बदलना चाहते थे और कहते थे कि स्वराज्य का अर्थ केवल कुछ थोड़े से उच्च वेतन वाले पदों को प्राप्त कर लेना ही नहीं है, वरन् एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति सचेत रहें तथा कार्यपालिका के कर्मचारी और अधिकारी स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी समझें। तिलक के लिए स्वराज्य से आशय था कि अन्तिम सत्ता जनता के हाथों में हो। टी.वी. पर्वत ने लिखा है कि "तिलक भारतीय स्वराज्य को लोकतांत्रिक स्वराज्य के रूप में देखते थे और भारतीय स्वराज्य के युग दृष्टा की तरह उनकी यह धारणा बहुत अमूल्य थी। उनका यह विश्वास था कि लोकतांत्रिक स्वराज्य केवल जनजागृति जनता की आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति और उसके आत्मविश्वास से ही निर्मित हो सकेगा। [5]

आज भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप तिलक की कल्पना के स्वराज्य के अनुरूप है।

भारत में संविधान लागू होने के बाद 1970 के दशक के पूर्वाद्ध को छोड़कर कभी संवैधानिक संकट पैदा नहीं हुआ, जबकि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक एवं बहुजातीयता वाले देश में ऐसी आशंकायें बनी रहती हैं। शायद यहाँ समन्वय की भावना अधिक प्रभावी रही है जो कट्टरता को प्रभावित नहीं होने देती। यहाँ संस्थापक दृष्टिकोण अधिक प्रभारी रहा। चूँकि यहाँ मध्यम वर्ग उतना परिपक्व नहीं है, इसलिए कभी–कभी आर्थिक अक्षमताएँ और प्रशासनिक कमजोरियाँ साम्प्रदायिक और जातीय संघर्षों में तब्दीली हो जाती है। फिर भी कहा जा सकता है यहाँ लोकतंत्र सफल है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे देश में होने वाले आम चुनाव हैं। यह और भी सफल हो सकता है, यदि मध्यम वर्ग सशक्त हो जाए।

बहराल भारत में लोकतंत्र का दर्शन अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में अधिक परिपक्व है। यही

परिपक्वता उसे संयमित और नियंत्रित रहने में मदद करती है।[6]

भारत में लोकतंत्र का स्वरूप

भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के स्वरूप के बारे में हेरोटोडस के शब्दों में – "लोकतंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्पूर्ण समाज के हाथों में हो।

भारतीय लोकतंत्र के अन्तर्गत जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है और इस प्रकार के शासन का आधार दैवीय न होकर लौकिक होता है। लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए होता है अर्थात् लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में होती है। सामान्य रूप में नहीं।

1. भारतीय लोकतंत्र सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
2. राजनीति सत्ता की प्राप्ति के लिए एक से अधिक दलों के मध्य संघर्ष होता है या प्रतिस्पर्धा होती है।
3. सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा खुले तौर पर होती है, गुप्त नहीं। यह खुले चुनावों द्वारा सम्पन्न होती है।
4. चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर समय–समय पर हैं।
5. दबाव समूहों व अन्य संगठित और असंगठित समूहों की राजनीतिक व्यवस्था में काम करने का स्वतंत्रता होती है। वे सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं।
6. नागरिक स्वतंत्रताओं में भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि की गारण्टी होती है।
7. शक्तियों के पृथ्यकरण तथा एक दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था होती है, जैसे कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण।

आधुनिक युग के अधिकांश चिंतक इस तथ्य पर एकमत हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप मात्र ही नहीं है, अपितु व्यापक और नैतिक तौर पर यह एक जीवन पद्धति है। समाज की एक व्यवस्था है, सामाजिक और आर्थिक संबंधों का तरीका है और अंततः आस्था पर आधारित एक प्रणाली है। ऐसी राजनीतक और सामाजिक आर्थिक प्रणाली नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय सिद्धान्तों पर आधारित होती है, जिसमें सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है।[7]

लोकतंत्र दो प्रकार का होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत देश में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दर्शन होते हैं। आधुनिक राज्य जनसंख्या और क्षेत्र दोनों प्रकार से इतने बड़े–बड़े हैं कि इनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र सम्भव नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। वो प्रतिनिधि सांसद के रूप में मतदाताओं की भावनाओं के अनुसार कानून का निर्माण करते हैं एवं शासन चलाते हैं। यही प्रतिनिधि अपने में से मंत्री परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं जो कि कार्यपालिका के रूप में विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करते हैं।[8]

भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संख्या है। लोग संसद के माध्यम से अपने विचारों से सरकार को अवगत कराते हैं सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश में कार्य करती है।

स्वतंत्रता के विगत 57 वर्षों में भारत ने लोकतंत्र की प्रक्रिया की सफलताओं और असफलताओं को देखा है। हमारे देश ने कई क्षेत्रों में सफलताएँ अर्जित की हैं। भारत में एक टिकाऊ संविधान एक व्यवहारिक राजनतिक प्रणाली कार्यात्मक संघीय व्यवस्था और सशक्त लोकतांत्रिक परम्परा विकसित हुई है देश काफी सीमा तक आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो चुका है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिक अनुसंधान में व्याप्त विकास किया है। विभिन्न जातियों और मानव जातीय भाषीय समूह अपनी पहचान खोए बिना एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। मोटे तौर पर एक वृहद् बहु–धार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देश भारत एक जुट रहा है।

अतः भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में एक अलग स्थान प्राप्त है। भारतीय लोकतंत्र में संसद की प्रभुता है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है एवं दोहरी कार्यपालिका है। इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। इसमें प्रधानमंत्री की प्रमुखता होती है, यह सब भारतीय लोकतन्त्र का स्वरूप है।

अध्ययन का उद्देश्य

लोकतंत्र का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था हमारे भारत देश में भी लागू हैं। हम सब भारतीय इस शासन व्यवस्था के द्वारा अपने भारतीय लोकतन्त्र का हिस्सा बने हुए हैं। लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में समस्त नागरिकों को यह एक नैसर्गिक अधिकार है कि वह शासन कार्यों में हाथ बटायें। अतः भारत में लोकतन्त्र पर अध्ययन करने का उद्देश्य है– लोकतन्त्र के उदय, विकास और उसके स्वरूप को समझें।

निष्कर्ष

आज लोकतन्त्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था के रुप में जानी जाती है और भारतीय लोकतन्त्र तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। इस शासन व्यवस्था में जनता की मतदान करने का अधिकार है अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में मतदान करके हम स्वयं अपने नेता का चुनाव करते हैं। भारत एक घनी आबादी वाला देश है इस देश के नागरिक अपनी शासन व्यवस्था से बहुत प्रसन्न है। लोकतन्त्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थिति उत्पन्न करना है। इसमें जनता सर्वोच्च होती है और शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतन्त्र में ऊँच–नीच व छोटे–बड़े के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाता है। एक लोकतन्त्रीय देश में नागरिकों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा व

सांस्कृतिक विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः भारत में लोकतन्त्र एक उत्तम शासन व्यवस्था है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बैसेंट आर – डेमोक्रेसी एण्ड फॉरेन पालिसी, लोगमेन ग्रीन, लन्दन– 1951.
2. बारब्यू जेनेडी – डेमोक्रेसी एण्ड डिक्टेटरशिप, देयर साइकोलॉजी एण्ड पैटर्न ऑफ लाइफ, लन्दन – 1956.
3. कार्ल सी. टेलर, हेलन डब्लू. जॉनसन, जीन जोयस – इण्डियन रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ओरियेन्टल लोगमेन्स, नई दिल्ली– 1967.
4. डा० फडिया बी०एल० – भारतीय राजनीतिक चिन्तन, साहित्य भवन पब्लिकेशन – 1997.
5. झच्ची जे.एस. – समाज दर्शन की रूपरेखा, सतत् शिक्षा सस्थान इलाहाबाद, विश्वविद्यालय।
6. जोशी नवीन चन्द्र – डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ इक्वेलिटी, हिन्दुस्तान पब्लिकेशन्स कॉपोरेशन्स, 1982.
7. डॉ. जैन पुखराज – नागरिक शास्त्र की रूपरेखा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा–2000.
8. क्रिस्टोफर एल. लॉयल – डेमोक्रेसी एण्ड इट्स एन इन्ट्रोडक्शन टू मॉर्डन पॉलिटिकल थ्योरीज – लांगमेन्स ग्रीन एण्ड कारपोरेशन, लन्दन – 1947
9. कमल के. एल. एवं राल्फ मेयर – डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1977.
10. कोठारी रजनी – डेमोक्रेटिक पॉलिटी एण्ड सोशल चेन्ज इन इण्डिया एण्ड ऑपरचून्टीस, अलाइड पब्लिकेशन्स, बैंगलोर, 1976.
11. नारंग एस.ए. – भारत में लोकतन्त्र समस्याएँ और चुनौतियाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली–2003.
12. प्रसाद आर.सी. – डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट, रचना प्रकाशन–1971.
13. राज सन्तोष कुमार – डेमोक्रेसी इन इण्डिया – लाल बुकलैण्ड – 1996.
14. राय जे.के. – डेमोक्रेसी एण्ड नेशनलिज़म ऑन ट्रायल, स्टडी ऑफ इस्ट प्रकाशन शिमला – 1968.
15. डॉ. रानी अपर्णा एण्ड डॉ. सुभाष कुलश्रेष्ठ – सामाजिक विज्ञान, रवि प्रिन्टर्स, आगरा – 2003.
16. वाडिया ए. आर. – डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट, लालवानी पब्लिकेशन्स हाउस – 1966.
17. यादव आर.एस. – कान्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया – ईस्टर्न बुक कम्पनी लन्दन – 1996

समाचार पत्र

1. अमर उजाला, आज, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, टाइम्स ऑफ इण्डिया।

जर्नलस

2. अनिल चमडिया, डा० भरत झुनझुनवाला, कमल नयन काबरा, वंशीधर मिश्रा।